

न्यायालय : तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैतूल, मध्यप्रदेश
(समक्ष : अमन मलिक)

व्य.वाद क. - 161'ए' / 2017
 संस्थित दि. - 04.08.2017

कमलकिशोर वल्द स्व. श्री सुन्दरलाल झरबड़े
 उम्र-33 वर्ष, निवासी-शितलढाना रानीपुर रोड़
 चिखलार, थाना व तह. जिला-बैतूल (म.प्र.) — **आवेदक**

विरुद्ध

- 1) **श्रीमती मैना झरबड़े बेवा श्री सुन्दरलाल झरबड़े**
 उम्र-58 वर्ष, निवासी-शितलढाना रानीपुर रोड़
 चिखलार, थाना व तह. जिला-बैतूल (म.प्र.)
- 2) **रेखा सोनारे पति कृष्णराव सोनारे**
 निवासी-पुलिस चौकी के सामने खेड़ी सांवलीगढ़
 तहसील व जिला-बैतूल (म.प्र.)
- 3) **प्रियंका उर्फ पिकी पति सुनील चौरासे**
 निवासी-ढोढरामोहाड़ पो.बारव्ही, तह. जिला-बैतूल
- 4) **मध्यप्रदेश शासन द्वारा,**
कलेक्टर बैतूल

— **अनावेदकगण**

वादी द्वारा	: श्री अनिल सिंह ठाकुर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क. 2, 3 द्वारा	: श्री गुफरान खान अधिवक्ता।
प्रतिवादी क. 1, 4	: पूर्व से एकपक्षीय।

॥ आदेश ॥

(आज दिनांक : 19.02.2018 को पारित किया गया)

- 1} इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश-39, नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आई.ए.नं. 01 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2} वादी/आवेदक का आवेदन संक्षेप में यह है कि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 से 3 के नाम से मौजा चिखलार प.ह.नं. 37 बैतूल में खसरा

नंबर 124/3 रकबा 1.363 हे., ख.नं. 124/4 रकबा 1.604 हे., ख.नं. 124/9 रकबा 0.202 हे. संपत्ति (जिसे आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा) राजस्व रिकार्ड में शामिल शरीकत में दर्ज है। आवेदक के पिता स्व.सुन्दरलाल झरबड़े द्वारा वादी की सेवा चाकरी से खुब होकर अपने जीवनकाल में स्वतंत्र मस्तिष्क से उक्त वादग्रस्त भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में दिनांक 14.03.2014 को दो गवाहों के समक्ष निष्पादित की थी जिसकी जानकारी उन्हें प्रथम बार काशीनाथ वाघमारे द्वारा माह दिसंबर 2016 में प्रथम सप्ताह में हुयी। आवेदक के पिता की मृत्यु के पश्चात् अनावेदक क्रमांक 2 और 3 द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर आवेदक को जानकारी दिये बिना भूमि का बंटवारा कराने हेतु तहसील न्यायालय बैतूल में बटवारे का प्रकरण प्रस्तुत किया गया और जल्द बटवारा करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। आवेदक द्वारा माह दिसंबर 2016 में तहसीलदार के समक्ष आवेदक के पिता द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 12.06.17 को निरस्त इस कारण से किया गया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर पूर्व में फौती नामांतरण होकर सभी वारसानों के नाम दर्ज हो चुके हैं। आवेदक का वाद प्रथम दृष्टया सुदृढ़ होने से सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में होने से वादी/आवेदक के पक्ष में इस आशय की निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया है कि प्रकरण के निराकरण तक अनोवदकण स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप ना करे साथ ही उक्त अवधि तक वादग्रस्त भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय ना करे।

3} अनावेदक क्रमांक 2 एवं 03 ने उक्त आवेदन के तथ्यों से इंकार करते हुये जवाब में बताया है कि आवेदक/वादी द्वारा पैतृक संपत्ति की फर्जी वसीयत तैयार की गयी है जो विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। बंटवारे की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा खुले न्यायालय में सम्पन्न हुयी है एवं वादी सूचना उपरांत जानबुझकर उपस्थित नहीं हुआ था। हिन्दू विधि के अनुसार सभी वारसान समान अंश रखते हैं जिसके आधार पर तहसीलदार बैतूल द्वारा संपत्ति का समान

रूप से बंटवारा किया गया है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र मिथ्या एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4} अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु की विरचना की जा रही है :-

- 1) क्या प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आवेदक के पक्ष में है ?
- 2) क्या अपूर्ण्य क्षति का सिद्धांत आवेदक के पक्ष में है?
- 3) क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है?

:- सकारण निष्कर्ष :-

5} उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये आवेदक का प्रथम दृष्ट्या मामला ऐसा स्थापित होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य लेकर ही तय हो सकता है और उसमें आवेदक के विजयी होने की प्रबल संभावना हो।

6} आवेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में वसीयतनामा, खसरा किश्तबंदी वर्ष 2016-17, संशोधन पंजी, आदेश पत्रिका दिनांक 24.07.17 एवं खसरा किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2016-17 पेश की गयी है जिससे यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि शामिल शरीकत भूमि होकर आवेदक/वादी एवं अनावेदक क्रमांक 1 से 3 का नाम दर्ज है। आवेदक द्वारा अपने पक्षसमर्थन में वसीयतनामा पेश किया गया है जबकि प्रतिवादी द्वारा वसीयत फर्जी होना बताया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वसीयत सही है अथवा फर्जी, इसका निराकरण प्रकरण के गुण-दोषों पर विचार उपरांत साक्ष्य लेकर ही किया जाना संभव है। वर्तमान में उक्त भूमि शामिल शरीकत होना दर्शित है। आवेदक/वादी द्वारा ऐसे कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित हो सके कि अनावेदक क्रमांक 1 से 3 के नाम से वादग्रस्त भूमि अवैधानिक रूप से दर्ज है।

7} उपरोक्त परिस्थितियों एवं अभिलेख पर विद्यमान दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आवेदक के पक्ष में दर्शित नहीं होता है। अतः वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या वाद नहीं माना जा सकता।

8} चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला आवेदक के पक्ष में नहीं है, ऐसी स्थिति में सुविधा के संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति आवेदक को अनावेदकगण क्रमांक 1 से 3 की अपेक्षा अधिक होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

9} उपरोक्त परिस्थितियों में जबकि आवेदक के पक्ष में न तो प्रथम दृष्ट्या वाद है, न ही निषेधाज्ञा देने से उसे अपूर्णीय क्षति होगी तथा सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में नहीं है, इस प्रकरण में उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। अतः आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. (अस्थाई निषेधाज्ञा) (आई.ए.नं.-1) निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में घोषित किया
जाकर दिनांकित व हस्ताक्षरित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही /—
(अमन मलिक)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
बैतूल, मध्यप्रदेश

सही /—
(अमन मलिक)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
बैतूल, मध्यप्रदेश